कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग बाराबंकी।

पत्रांक 2125/14–4–4 दिनांक, बाराबंकी, 30/12/2020

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सरयू वृत्त, उ0प्र0, अयोध्या।

विषयः– जनपद बाराबंकी में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत एवं उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा मान्यता प्राप्त शेरेवुड कॉलेज ऑफ इन्जीनियरिंग रिसर्च एवं टेक्नोलॉजी के मार्ग निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम–1980 के अर्न्तगत लखनऊ–फैजाबाद मार्ग पर किमी0 18–19 के मध्य दायीं पटरी पर 0.063404 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय का पत्रॉक–1713/11–सी0–FP/UP/Others/29655/2017 दिनॉक–24–02–2020 एवं आपके कार्यालय का पत्रॉक–3153/14–10 दिनांक 25–02–2020, तथा इस कार्यालय का पत्रॉक–3557/14–4–4 दिनांक 28–02–2020 तथा निदेशक शेरेवुड कालेज ऑफ इन्जीनियरिंग रिसर्च एण्ड टेक्नोलॉजी धरसनिया, जनपद–बाराबंकी का पत्रांक–SCERT/DIR/2020/1061 दिनॉक 29–12–2020 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयक प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0, लखनऊ द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव तीन प्रतियों में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0, लखनऊ द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निम्न प्रकार निराकरण कर पुनः प्रस्ताव तीन प्रतियों में आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

क्र0 सं0	आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1	प्रभावित संरक्षित भूमि के दोगुने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित संशोधित प्राक्कलन संलग्न है, किन्तु आनलाइन भाग–2 के Additional Information detail से पूर्व त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन डिलिट नही किया गया है।	संरक्षित वन भूमि के दोगुने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का दस वर्षो का अनुरक्षण सहित संशोधित प्राक्कलन संलग्नकर आनलाईन भाग–2 के Additional Information detail में अपलोड कर दिया गया है।
2	मलवा उत्सर्जन सम्बन्धी प्रमाण पत्र में गाटा संख्या–305 के स्थान पर गाटा संख्या–205 अंकित किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः मलवा उतसर्जन सम्बन्धी प्रमाण–पत्र पर सही गाटा संख्या अंकित कर संशोधित प्रमाण पत्र संलग्न करें एवं आन लाइन भाग–1 एवं आनलाइन भाग–2 से पूर्व का मलवा उत्सर्जन सम्बन्धी प्रमाण–पत्र डिलिट कर संशोधित प्रमाण–पत्र अपलोड करें।	मलवा उत्सर्जन सम्बन्धी प्रमाण पत्र संशोधित कर प्रमाण–पत्र आनलाईन भाग–2 में अपलोड कर दिया गया है।
3	प्रकरण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किये गये वन (संरक्षण) अधिनियम–1980 के उल्लंघन के फलस्वरूप की जाने वाली कार्यवाही के अन्तर्गत एच–2 केस से सम्बन्धत न तो कोई सुचना/अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न किये गये है और न ही एच–2 केस कम्पाउड किये जाने अथवा मा0 न्यायायल को सन्दर्भित किये जाने की कोई सूचना/अभिलेख किये गये है। अतः तद्नुसार कार्यवाही करते हुए इससे सम्बन्धी अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रकरण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किये गये वन (संरक्षण) अधिनियम–1980 के उल्लंघन के फलस्वरूप की जाने वाली कार्यवाही से सम्बन्धित अभिलेख पृष्ठ संख्या–22 से 36 तक में संलग्न है।
4	प्रकरण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम–1980 का उल्लंघन किया गया है। अतः प्रस्ताव से पृष्ठ संख्या–44 पर संलग्न प्रमाण–पत्र को तद्नुसार संशोधित करें अथवा प्रस्ताव से पृथक करें।	प्रकरण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम–1980 के उल्लंघन से सम्बन्धित संशोधित प्रमाण–पत्र संलग्न कर दिया गया है।

अतः प्रस्ताव में इंगित कमियों का निराकरण करने के पश्चात संशोधित प्रस्ताव तीन मूल प्रतियों में संलग्न कर आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(एस0 के0 तिवारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव वन प्रभाग, बाराबंकी

संख्या 2125/ उक्तदिनॉकित

1– प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2– प्रतिलिपि निदेशक शेरेवुड कालेज ऑफ इन्जीनियरिंग रिसर्च एण्ड टेक्नोलॉजी धरसनिया, जनपद–बाराबंकी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुं प्रेषित।

(एस0 के0 तिवारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव वन प्रभाग, बाराबंकी

दिनेश कुमार /–